दिनांक 12 फरवरी, 2024 से दिनांक 14 फरवरी, 2024 तक "Emerging Policy Shifts for Strengthening Child Rights" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के आधार पर उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संस्तुति

राज्य के बच्चों के सहयोग हेतु –

- महिला कैदियों के 0 से 6 साल तक के बच्चों के देखभाल के लिये प्रदेश के 13 जनपदों को क्षेत्र के अनुसार बाँट कर 3 या 4 जनपद (करीब के जनपदों) के जेलों का क्लस्टर (CLUSTER) बना कर जेल में क्रैच आंगनवाड़ी के माध्यम से एवं preparatory शिक्षा की व्यवस्था किया जाना उचित होगा। शिक्षा व बच्चों के देखभाल के लिये आंगनवाड़ी केन्द्रों की सहायता ली जा सकती है।
- कामकाजी महिलाओं के 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिये प्रदेश के हर ब्लॉक/कार्यस्थल में एक क्रैच खुलवाया जाना उचित होगा।
- दिव्यांग, अनाथ व ट्रांस्जेण्डर बच्चों का स्कूल में एडमिशन को बढ़ावा देने के लिये guideline व support structure तैयार करवाया जाना तथा बाल तस्करी, बालश्रम, बाल विवाह व स्ट्रीट चिल्ड्रेन को स्कूलों में विशेष सुविधायें उपलब्ध करवाना उचित होगा।
- गत वर्षों में देखा गया है कि माता–पिता के आपसी लड़ाई झगड़े के कारण बच्चे काफी परेशान हो जाते है। दोनो के बचकाने व्यवहार के कारण बच्चों के मानसिक संतुलन पर विपरीत व नकारात्मक असर पड़ता है। इस प्रकार के मामलों में उलझे बच्चों को बाल कल्याण समिति के अर्न्तगत मॉनिटरिंग करवाया जाना उचित होगा।
- शादी के बंधन में बंधने वाले युवाओं के लिये अनिवार्य तौर उसी वर्ष में विवाह पंजीकरण करने से पूर्व उनकी **प्री–मैरिज काउन्सलिंग** एवं **पैरेन्टिंग** की

जागरूकता जिला प्रोबेशन अधिकारी के द्वारा करवाते हुए एक तीव्र अभियान चलाया जाना चाहिये।

- बच्चों का अधिकतर समय विद्यालयों में गुज़रता है, निजी विद्यालय के वातावरण प्रबंधक की सूझ–बूझ व मानसिकता पर निर्भर करता है। इसलिये स्कूल को अनापत्ति पत्र दिये जाने से पूर्व प्रबंधक, संचालक व प्रबंधन समिति का **पुलिस सत्यापन (police verification)** से करवाया जाना उचित होगा।
- बाल कल्याण समिति, संप्रेक्षण गृह, बाल गृह, बाल देखरेख संस्था, चाईल्डलाईन सहायता केन्द्र, पालना केन्द्र, प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था, खुला आश्रय गृह तथा mobility support (बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाये जाने हेतु परिवहन) का एक ही जगह पर एक साथ एक हब (वन स्टॉप सैन्टर के भांति) तैयार करवाया जाना उचित होगा, जिससे बच्चों को सभी सुविधायें एक ही स्थान पर प्राप्त हो सके तथा बच्चों को अनावश्यक भागादौड़ी न करनी पड़ें।
- बच्चों के साथ आये दिन शारीरिक, मानसिक व यौन शोषण जैसे बढ़ते आपराधिक मामले हमारे समाज को असुरक्षित और दूषित कर रहा है, अकसर देखा गया है कि उक्त आपराधिक मामलों में हमारे आसपास या नज़दीकी रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति होता है, जिस पर हम सहज भरोसा कर लेते है (जैसे कि–शिक्षक, स्कूल के समस्त स्टाफ, बच्चो को लाने व ले जाने वाली सभी वाहनों के ड्राईवर, आश्रय गृहों व खुला आश्रय गृहों के समस्त स्टाफ, इत्यादि)। **इसलिये सभी शैक्षणिक संस्थानों, समस्त बाल देखरेख गृहों के प्रबन्धन समिति तथा किसी भी पद पर नियुक्त किये गये कार्मिक के पुलिस सत्यापन (police verification) व व्यक्तित्व परीक्षण (personality assessment) किया जाना अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाना आवश्यक**

होना चहिये। जिससे समाज में आपराधिक प्रकृति व दूषित मानसिकता वाले व्यक्ति से बच्चों को समाज में सुरक्षित व निर्भय वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

- उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 0–18 वर्ष तक के बच्चों के कोचिंग संस्थानों द्वारा किसी भी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करने के लिये लिये कोचिंग संस्थानों के संचालन मानक तैयार किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए आयोग द्वारा पूर्व में शासन को संस्तुति प्रेषित किया गया है, जो कि शासन व प्रशासन स्तर पर विचाराधीन है। साथ ही आतिथि तक प्रदेश में कितने कोचिंग संस्थान संस्थान आवासीय व कितने गैर–आवासीय बर्ग में पंजीकृत किये गये है। वर्तमान में कोचिंग संचालन हेतु क्या स्थान से लेकर शिक्षा के लिये क्या मानक तय किये गये है तथा किस विभाग के द्वारा इनके संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। **(संलग्नक—शासन व प्रशासन को बाल अधिकार आयोग की तरफ से प्रेषित किये गये अनुशंसा पत्र स0—1111/SCPCR.UK/22—23 दि0—06.09.2022, 1138/SCPCR.UK/22—23 दि0—08.09.2022 तथा 1139/SCPCR.UK/22—23 दि0—08.09.2022)।**

<u>प्रशिक्षण</u> –

- ग्राम पंचायत व न्याय पंचायत पर क्षमता निर्माण के लिये प्रशिक्षण करवाया जाना चाहिये, जिसमें बाल आयोग व बच्चों के समस्त अधिकारों, अधिनियमों व संशोधित अधिनियमों से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी दी जाये।
- जनपद स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, आशा व ए0एन0एम0 वर्कर को भी बाल अधिकारों का प्रशिक्षण करवाए जाना चाहिये

जिससे कि बाल अधिकारों का हनन होने पर क्या कार्यवाही करनी है, तथा किनसे सम्पर्क करना है की पूर्ण जानकारी दी जाये। जिसमें (पोक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, नई मोटर वेहिकल अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जे0जे0 बोर्ड, चाइल्ड हेल्पलाईन, बाल कल्याण समिति, डी0सी0पी0यू0 इत्यादि की जानकारी दी जाये)।

- बाल कल्यााण समिति के अध्यक्ष व सदस्यों को समय–समय पर अलग–अलग विषयों पर प्रशिक्षिण दिया जाना चाहिए। साथ ही इनके प्रशिक्षण के लिये राज्य स्तर, जनपद स्तर, ब्लॉक स्तर व ग्राम स्तर पर क्षमता निर्माण के लिये प्रशिक्षिण कार्यक्रम चला कर अधिक से अधिक जागरूक किया जाना चाहिए।

<u>सभी खोए हुए बच्चों की पहचान व खोज हेतु एक प्लैटफार्म तैयार किये जाने हेतु –</u>

- भारत सरकार को संस्तुति प्रेषित कर देश के समस्त बच्चों का एक आर्टिफिशिएल इन्टेलिजेंस का प्रयोग करते हुए डेटा बैंक तैयार किया जाये, जिससे कि बच्चों के खोने अथवा प्रवासी बच्चों की खोज करने के लिये अन्य राज्य की पुलिस से सम्पर्क कर बच्चों का पता लगाने सुविधा हो सके। साथ ही इनकी access बाल आयोगों को भी दिया जाये।

<u>शिक्षा विभाग हेतु –</u>

- विभाग की ओर से बच्चों को विद्यालयों में नैतिक शिक्षा दिये जाना अनिवार्य किया जाना उचित होगा।
- निजी व सरकारी विध्यालयों में बच्चों के साथ किसी भी प्रकार बाल शोषण पर रोक लगाने के लिये स्कूलों में शिक्षकों को Training of Teachers (TOT) कार्यक्रम चलवा कर प्रशिक्षण करवाया जाना चाहिये, जिसमें शिक्षकों व अन्य

कर्मचारियों को (पोक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, नई मोटर वेहिकल अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जे0जे0 बोर्ड, चाइल्ड हेल्पलाईन, बाल कल्याण समिति, डी0सी0पी0यू0 इत्यादि का जानकारी दी जाये)।

- स्कूलों में शिक्षकों, कर्मचारियों व बच्चों को साईबर सुरक्षा सम्बन्धी समस्त जानकारी दी जानी चाहिए।
- स्कूलों में गठित अध्यापक–शिक्षक संघ, पोक्सो समिति व समीक्षा और निगरानी एक प्रणाली गठित करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा तीनो स्तरों पर (ब्लॉक, जिला और राज्य) अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।
- बालश्रम, बाल भिक्षावृति, कूड़ा बिनने वाले, ट्रांस्जेण्डर, स्ट्रीट चिल्ड्रेन व अन्य दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे गरीब बच्चे, दिव्यांग बच्चे तथा असहाय बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार रिसोर्स शिक्षकों को नियुक्त कर बच्चों में साक्षरता के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
- विद्यालयों से ड्रॉपआउट हुए बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़ने के लिये समाजसेवकों व रिसोर्स शिक्षकों के माध्यम से किया जाना चाहिये, जिससे कि बच्चे के स्कूल छोड़ने के कारणों का आंकलन कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
- **बुक बैंक/पुस्तक बैंक –** हर नए शैक्षणिक सत्र में अभिभावकों को नई पुस्तकें क्रय न करना पड़े उसके लिये हर विद्यालय में एक **बुक बैंक/पुस्तक बैंक** तैयार किया जाना चाहिये, जिसमें शैक्षणिक सत्र के अन्त में समस्त छात्र–छात्राओं से उनके द्वारा उपयोग की गयी पुस्तकों को रक्षित करते हुये नवीन कक्षा में आने वाले अगले बैच के बच्चों को वह पुस्तकें उपलब्ध करवायी जायें। प्रदेश के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा

के अन्तर्गत प्रवेश लेने वाले, अनाथ व एकल अभिभावकों के निजी व सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की शिक्षा के लिये प्रवेश के समय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत **स्टेशनरी व पुस्तके** उपलब्ध करवायी जा सकती है, जिससे प्रदेश के बच्चों की पुस्तक व स्टेश्नरी के अभाव में बिना रूके पढ़ाई हो सके।

- छात्र / छात्राओं को **नई शिक्षा नीति** के नियमित पाठ्यक्रम के साथ–साथ उनके वातावरण, उनके अधिकारों व अन्य सामाजिक विषयों के बारे में उनके आयु व कक्षा के अनुसार समय–समय पर जागरुक करवाये जाने की आवश्यकता है। उक्त के क्रम में जागरुक करवाये जाने हेतु कक्षावार विषय निम्नलिखित है–

क्रम सं0	विषय	कक्षा
1.	**पर्यावरण संबंधित जानकारी** – पौधारोपण तकनीक, पौधों का रख–रखाव, जल संरक्षाण, ऊर्जा संसाधन आदि।	कक्षा 06
2.	**शारीरिक छवि व शारीरिक विकास –** किशोरवास्था में आयु के साथ शरीर में होने वाले बदलाव, मासिक धर्म स्वच्छता आदि की जानकारी।	कक्षा 06 व कक्षा 09
3.	**डिजिटल दुरुपयोग** – मोबाईल आसक्ति, इन्टरनेट आसक्ति, विडियो आसक्ति आदि की जानकारी, वित्तीय प्रबंधन व पुनर्वास के तरीके।	कक्षा 07
4.	**बाल अधिकारों –** बाल अधिकार, पोकसो, बालश्रम, बालविविाह, किशोर न्याय अधिनियम, बाल कल्याण समिति, जे0जे0बी0, चाईल्ड हेल्पलाईन आदि की सम्पूर्ण जानकारी।	कक्षा 08
5.	**सड़क सम्बन्धी सुरक्षा** – मोटर वाहन अधिनियम, ट्रैफिक नियम आदि व **नशीले व मादक पदार्थो का दुरुपयोग**।	कक्षा 09 व कक्षा 10
6.	**करियर परामर्श –** आजीविका प्रशिक्षण।	कक्षा 11
7.	**– शारीरिक फिटनेस,** **– तनाव प्रबंधन,**	कक्षा 12

	– रिलेशनशिप मैनेजमेन्ट, **– उच्च शिक्षा व बारहवी कक्षा के बाद के लिये तैयार करना।**	

विद्यालयों मे दिव्यांगजनों हेतु उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दिशानिर्देश –

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार 21 प्रकार की दिव्यांगता को रखा गया है, जिसके लिए दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने तथा इन्क्लुसिव स्कूलिंग के लिये स्कूलों में उनके आवश्यकतानुसार विशेष शिक्षक अनिवार्य रूप से नियुक्त किया जाना चाहिए।
- यदि विद्यालय निचले तल पर है तो शारीरिक दिव्यांग बच्चों के सुचारु आवागमन हेतु सुविधाजनक रैम्पिंग तथा कॉरिडोर होने अनिवार्य है। यदि विद्यालय में एक से अधिक तल है तो पहले तो यह सुनिश्चित किया जाये कि दिव्याांग बच्चों कि कक्षायें निचले तल पर ही लगायी जायें, अन्यथा बच्चों कि सुविधा हेतु लिफ्ट व्यवस्था होनी अनिवार्य है।
- दिव्यांग बच्चों की प्रसाधन कि व्यवस्था उनकी आवश्यकता एवं सुविधानुसार प्रयोग में लाने के उद्देश्य से तैयार कराया जाये।
- न्यूरोलॉजिकल सम्बन्धी दिव्यांगताओं (जैसे आटिज़्म, अधिगम अक्षमता) तथा मानसिक मंदता, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधितों के लिये शिक्षण हेतु ऑडियो–विज़ुअल विधि का प्रयोग करते हुये विशेष शिक्षक हर विद्यालय में अनिवार्य रुप से नियुक्त किये जाये।
- दिव्यांग बच्चों के लिये स्वच्छ पेयजल, पुस्तकालय कौशल सम्बन्धी तथा मनोरंजन हेतु व्यवस्था होनी आवश्यक है।

- विद्यालय में हर जगह की जानकारी सहित आकर्षक साइनेज बनायें जायें तथा यह सुचित करते हुए कि विद्यालय में दिव्यांग मित्र वातावरण है का प्रमाण विद्यालय के मुख्य द्वार पर लगाया जाना अनिवार्य है।

पुलिस विभाग हेतु –

- प्रदेश में आए दिन पोक्सो की घटनाओं में वृद्धि देखी गयी है,4 जो कि दिन प्रतिदिन बच्चों के सुरक्षा के दृष्टिगत चिंतनीय विषय बनता जा रहा है। दोषी को **शीघ्रतिशीघ्र दण्डित** किए जाने व पीड़ित बालक/बालिका को उचित सहायता हेतु पोक्सो अधिनियम की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की जाए जिससे कि विभाग द्वारा **तीव्रता से कार्य किए जाये**।
- वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा का चलन में तीव्रता से वृद्धि देखी गयी है, जिससे बच्चों में मोबाइल एडिक्शन बढ़ा है, तथा साईबर क्राईम में भी बढ़ोतरी हुई है। **साईबर अपराध** व उनसे सुरक्षा के लिये तेजी से **जनजागरूकता अभियान** चलाया जाना आवश्यक है।
- पुलिस विभाग द्वारा विधि विरूद्ध बालक व बाल अपराध के पीड़ित बच्चों से किस प्रकार से बातचीत की जानी चाहिये इसके लिये भी पुलिस विशेषतः **एस0जे0पी0यू0** तथा **बाल मित्र थाने के स्टाफ** की **मनोचिकित्सक/मनोवैज्ञानिक** द्वारा **ट्रेनिंग करवाया जाना उचित होगा**, जिससे कि बच्चे पुलिस से डरे बिना बातचीत कर सकें।
- बच्चों के विरूद्ध बढ़ते वारदातों को देखते हुए ब्लॉक स्तर पर बाल–मित्र थाने तैयार किये जाने चाहिये, जहाँ पुलिस के कर्मचारी सिविल ड्रेस में तथा थाने में एक काउन्सलर/विशेष शिक्षक उपलब्ध रहें, जिससे कि बच्चे सहजता के साथ पुलिस से बिना डरे एक शांत वातावरण में बातचीत कर सके।

राज्य के बच्चों के बालश्रम, बाल भिक्षावृति में लिप्त होने हेतु –

- **बाल भिक्षावृति व बालश्रम** में लिप्त बच्चों को **rescue** करवा कर मुख्यधारा से जोड़ने के लिये शिक्षा का अधिकार अधिनियम में वर्णित **रिसोर्स शिक्षकों** के माध्यम से किया जाना चाहिये, जिससे कि जो बच्चे कभी स्कूल नही गये है उन्हें बुनियादी शिक्षा प्रदान कर तथा शिक्षा में रूचि बढ़ाते हुए बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास कर सके।
- बाल भिक्षावृति व बालश्रम से मुक्त कराये गये बच्चों में **जो बच्चे किशोरावस्था** तक पहुँच चुके है, तथा समाजसेवकों व रिसोर्स शिक्षकों के प्रयासों के बाद भी जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हो उन्हें **कौशल विकास योजना** से जोड़े जाने का **विशेष प्रावधान किया जाना उचित** होगा जिससे कि उक्त बच्चों को भविष्य में सीधे रोज़गार से जोड़ा जा सके।

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सशक्त बनाने हेतु–

बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु आयोग को बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत जनजागरुकता, निगरानी, अनशंसाएं, शिकायत की जाँच व शोध करने के लिये प्रदान किया गया है, किन्तु उक्त दायित्वों का निर्वहन करने के लिये **आयोग को अत्याधिक न्यून बजट** दिया गया है, जिसमें आयोग के लिये किसी भी प्रकार के **संसाधन तथा मानव संसाधन उपलब्ध करवाना एवं कार्य, जागरूकता कार्यक्रम व शोध कर पाना असम्भव** है। जिस कारण आयोग पूर्ण क्षमता अनुरूप कार्य कर पाने में असमर्थ है। उक्त के सम्बन्ध में बाल आयोग को सशक्त किये जाने के उद्देश्य से आयोग को निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध करवाया जाना उचित होगा–

- आयोग के बजट में वृद्धि करते हुए, बजट को अपनी आवश्यकतानुसार स्वयं व्यय करने के लिये आयोग के सचिव को विभागाध्यक्ष घोषित किये जाने हेतु

पत्र पूर्व में भी शासन को प्रेषित किये गये है, जो कि शासन स्तर पर आतिथि तक लम्बित है, उस विचार करने की कृपा करें।

- आयोग के दायित्वों का दायरा विस्तृत है, जिसके सम्पूर्ण क्रियान्वयन करने के लिये आयोग को उपलब्ध करवाये गये मानव संसाधन अत्यन्त ही कम है, इस सन्दर्भ में आयोग द्वारा मानव संसाधनों में वृद्धि करने के लिये आयोग स्तर से ढाँचे में विस्तार किये जाने हेतु शासन को पूर्व में भी पत्र प्रेषित किये गये है, उक्त पर निर्णय लेते हुए ढाँचे में विस्तार करने पर विचार करना उचित होगा।
- आयोग के मा0 सदस्यों को किसी अन्य स्थान पर भ्रमण करने के लिये कोई सुविधा नहीं है, जिस कारण सदस्यों को प्रदेश के सभी बच्चों के साथ सम्पर्क करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता। इस विषय पर निर्णय लेने का कष्ट करें।
- आयोग के द्वारा दिये गये निर्देशों का सुचारू क्रियान्वयन करने के लिये सभी रेखीय विभागों में एक–एक नोडल अधिकारी नियुक्त करवाये जायें, जिससे कि बाल अधिकारों से सम्बन्धित मुद्दों व वादों का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।

(डा0 गीता खन्ना)
अध्यक्ष
उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग।